vkbZ-vkbZ-,- v/;{k Jh tqxy fd'kksj th dk jkT; ea=h iksVksdky mRrj izns'k ljdkj ds lEeku lekjksg esa lacks/ku ¼11@04@2012½

माननीय प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, राज्य मंत्री प्रोटोकोल उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बीच उपस्थित हैं। मान्यवर, इन्डियन ऐसोसिएशन के प्रांत भर में फैले लगभग 5 हजार से भी अधिक निरीह एवम् बेबस उद्यमी बन्धुओं की ओर से इस सभागार में आपका स्वागत एवम् अभिनन्दन है। हम आपके कृतज्ञ है कि आपने हमारे बीच पधारना स्वीकार कर हमारा मान बढ़ाया।

आई.आई.ए. क्योंकि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के हित लाभ के लिए बनी प्रदेश की एक प्रतिनिधि गैर सरकारी संस्था है जो पिछले 26 वर्षों से इस क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं एवं विधि संगत तरीके से हल करने के लिए संघर्षरत है । हमारा प्रयास रहता है कि हर उपलब्ध मंच पर इसकी स्थिति को उजागर कर अधिक मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिये एवं लिए जायें। वैसे तो बार–बार एक बात को कहना एवं सुनना कुछ Monotonous सा हो जाता है, परन्तु यह भी सत्य है कि यदि शोर नहीं होगा तो आवाज दूर तक पहुँचेगी कैसे? अपनी बात शुरू करने से पहले अपनी संस्था आई.आई.ए. के बारे में बताना चाहूॅगा, कि 1985 में मेरठ के कुछ युवा लघु उद्यमियों ने मिलकर कुटीर एवं लघु उद्योगों के उत्थान का बीडा उठाया, तथा नाये नाम से इस संगठन की शुरूआत की। जुलाई 1992 में इसका नाम 'इन्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन' कर दिया गया। आज आई.आई.ए. के चैप्टर प्रदेश के 40 जिलों में कार्यरत है तथा जिला एवं प्रात दोनों स्तरों पर अपने 5000 से अधिक पीड़ित सदस्यों की उद्योग सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिऐ संघर्षरत है तथा 36 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समितियों का सदस्य होने के नाते सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

मान्यवर हमारे प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकाय की अपार सम्भावनाऐं हैं क्योकि इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन कच्चामाल एवं दक्षता उपलब्ध है। यदि इस क्षेत्र के विकास हेतु बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा वहीं प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। मान्यवर आज क्योंकि आप सरीखा कर्मठ व्यक्त्वि हमारी सभा में उपस्थित है इस अवसर का अवश्य ही लाभ उठाना चाहूॅगा तथा प्रदेश के उद्योगों के विकास के लिए कुछ विशेष परन्तु आवश्यक बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूॅगा।

1- m|ksx cU/kq dks iqu thfor dj सशक्त cuk;k tkuk %&

इसकी मीटिंग मुख्य मंत्री तक प्रत्येक स्तर पर फिक्स डेट तथा टाइम पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित की जाय।

प्रत्येक स्तर पर उद्योग बन्धु के अध्यक्ष ही मीटिंग की अध्यक्षता करें, ऐसे प्रावधान किये जायें

उद्योग बन्धु में लिये गये निणयों को पार्दर्शी बनाया जाय।

2- Ø; ,oe~ eY; ojh;rk %&

प्रदेश की लघु इकाईओं को प्रदेश के बाहर की लुधु इकाईओं की तुलना में 10ः तथा प्रदेश के बाहर की वृहद एवमृ मध्यम इकाईओं की तुलना मे 15ः तथा प्रदेश की मध्यम एवम् वृहद इकाईओं की तुलना में 5ः मूल्य वरीयता दी जानी सुनिश्चित की जाय।

समय समय पर इस प्रकार के आदेश एवम् दिशा निर्देश विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व मे भी दिये जाते रहे है।

3. Mh-vkbZ- jsV dkUVªkDV flLVe :–

जांचापरखा वर्षो पुराना डी.आई. रेट कॉन्ट्राक्ट सिस्टम पूर्ववर्ती सरकार ने नजाने किन कारणों से गतवर्ष 31.03.2011 को समाप्त कर दिया। अतः डी.आई. रेट कॉन्ट्राक्ट का शीर्घताशीर्घ बहाल किया जाना अतिआवश्यक है।

4. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर bUl iDVj jkt lekIr djuk जिसक माननीय मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में आदेश जारी हुए थे परन्तु विगत कुछ वर्षों में इन आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है।

5. m|kxk ij xg dj dk yxk;k tkuk %&

आई.आई.ए. विगत सात वर्षों से प्रदेश सरकार से अनुरोध करता रहा है कि नगरो में सम्पत्यिों को चार श्रेणियों यथा आवासीय, व्यवसायिक, इनस्टीट्यूशनल एवम् औद्यौगिक मे विभाजित कर अलग–अलग कर निर्धारण की व्यवस्था की जाय परन्तु इस प्रकार का शासनाआदेश होने के पश्चात भी ऐसा अभी तक नही हो पाया।

यहां मै बताना चाहुंगा कि उत्तर प्रदेश नगर निगमों द्वारा फैक्ट्रीयों पर कर निर्धारण के लिए आज तक भी कोई नियम नही बनाया गया। परन्तु फिर भी प्रतेक जिले मे मनमाने तरीके से करारोपण कर एक तरफा गृह कर की डिमान्ड निकाली जारही है तथा रिकवरी आदेश दिये जारहे है।

6. fctyh dh vulyC/krk . यद्यपि राज्य सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है कि उद्योग और कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं दी जायेगी परन्तु इसके लिए स्पष्ट नोटीफिकेशन जारी करना अनिवार्य है।

7. इसी प्रकार औद्योगिक भूमि को **Leasehold** ls **Freehold** करने की सुविधा की घोषणा हुई है जबकि नोटीफिकेशन आपेक्षित है अभी।

8. लघु उद्योगों के लिए vyx vk|kfxd uhfrA

9. रूग्ण हो चुकी एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के लिए iuoklu uhfr बनाने तथा पुनर्वासन बोर्ड का गठन कर लागू करने की आवश्यकता है।

10. लघु उद्योगों के लिए rduhdh mUu;u एवं मार्केट डेवलपमेंट प्रोत्साहन।

11. oV ,o प्रवेश dj dk ljyhdj.k एवं कठिनाइयों का निवारण।

धन्यवाद!